

पुस्तक

श्री अशोक गांगुली,
नियुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 समूहाय, केन्द्र
प्रतिष्ठित विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा 171 अनुभाग

संख्या: दिनांक: 6 जुलाई, 1998

विषय:- सर्वज्ञ पब्लिक स्कूल न्यू पानियाला रोड रुड़की को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सर्वज्ञ पब्लिक स्कूल न्यू पानियाला रोड रुड़की को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बन्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत तोतायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से वैशिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिम फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्वाइवलेन्स नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।
- 151 संस्था शैक्षिक एवं शिष्योत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिष्य संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।

16। कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उप्यतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

17। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे, संस्था उनका पालन करेगी।

18। विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजीकाओं में रखा जायेगा।

19। उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि -

- 1- विद्यालय में शिक्षकों की नियमित नियुक्ति की जायेगी तथा अथकर्मियों के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी नियमानुसार वेतन दिया जायेगा।
- 2- प्रधानाचार्य के पद पर नियमित नियुक्ति की जायेगी।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापूर्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,


अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव।

पृ० सं० 111/15-7-1998 तददिनांक
=====

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ स्व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, सहारनपुर।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय 3090 लखनऊ।
- 5- प्रबन्धक, सर्वज्ञ पाठ्यक्रम स्कूल न्यू पनियाला रोड रुड़की हरिद्वार।

आशा से,


अशोक गांगुली।
संयुक्त सचिव।